

समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

निहित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापक 1835/श.0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाउच्चवर्त सभी शस्त्र अनुष्ठानियों को अपने-अपने शस्त्र अनुष्ठान एवं उसपर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन /बायोडटा सिहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14-10-2013 एवं 15-10-2013 का तिथि विधार्थित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक ब्याध के तर्त्तु हेतु अनुष्ठानियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि विधार्थित की गई थी। उसके बावजूद भी श्री संतोष कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- ईसरईन, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुष्ठान का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापक 156/श.0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम -63 एवं आन्वयस्त्र अनुष्ठान की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुष्ठान संख्या- 03/1982 (कुमारखण्ड थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुष्ठानियों से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उल्लंघनीय है कि श्री संतोष कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- ईसरईन, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को प्राप्त दो नाली बन्दूक अनुष्ठान संख्या- 03/1982 (कुमारखण्ड थाना) पर शस्त्र धारित नहीं है। अनुष्ठानियों के विदेश आगना, मनमानेपन एवं उग्रानीता का द्योतक है, जो अनुष्ठान शर्त्तों का उल्लंघन है। पिछले 31 वर्षों में शस्त्र नहीं खरीदना दर्शना है कि अनुष्ठानियों को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं न ही जान माल का खतरा है।

अतएव उल्लेखित परिशेष में अनुष्ठान शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुष्ठानियों के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुष्ठान संख्या- 03/1982 (कुमारखण्ड थाना) को रद्द किया जाता है। अनुष्ठानियों श्री संतोष कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- ईसरईन, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुष्ठान पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्रार्थित के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को विदेश दिया जाता है कि वे श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुष्ठान पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संघारित मूल अनुष्ठान पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृथक्कित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक.....145...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 31.03.14

प्रतिनिधि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिनिधि : अनुमान्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि : थानाध्यक्ष, कुमारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि : श्री संतोष कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- ईसरईन, थाना- कुमारखण्ड,
जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।